पॉलिसी: स्टाफ लोन के लिए दिशानिर्देश

पॉलिसी क्रमांक – 8

आख़िरी संशोधन की तारीख – 12/10/2020

किस पर लागू है – कंपनी के सभी कर्मचारियों पर

पॉलिसी मे कुल पृष्ठों की संख्या – 2

सभी कर्मचारियों को लोन नीचे दिए गये दिशानिर्देशों के आधार पर ही दिया जाएगा।

1- कोई भी कर्मचारी जिसने कंपनी में कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है, वह लोन के लिए आवेदन कर सकता है।

2- एक कर्मचारी को 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम 2 बार ही लोन मिल सकता है। इसलिए इस लाभ का उपयोग तभी करें जब यह अत्यंत आवश्यक हो।

3- स्टाफ लोन केवल जायज़ तथा गंभीर ज़रूरतों के लिए ही दिया जाएगा, यदि अन्यथा पाया जाता है, तो लोन की अवधि न्यूनतम कर दी जाएगी और उस पर 45% मासिक ब्याज दर लागू होगी।

4- यदि यह पाया जाता है और साबित हो जाता है कि कोई ऐसा लोन दिया गया था जो जायज़ या किसी गंभीर ज़रूरत के लिए नही था। तो, वह कर्मचारी अगले पांच वर्षों के लिए किसी भी लोन/ एड्वान्स वेतन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति मे उसे एच-आर प्रमुख से "लिखित स्वीकृति" प्राप्त करनी होगी कि वह लोन प्राप्त करने के योग्य है।

5- लोन के सभी आवेदन पहले आवेदक के विभाग प्रमुख द्वारा स्वीकृत किए जाएँगे। हालाँकि यह स्वीकृति अस्थायी स्वीकृति होगी और फाइनल स्वीकृति आगे के चरणों मे मिलेगी।

6- सभी विभाग प्रमुखों से यह अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी कि वह लोन की माँग जायज़ है या नही ये सुनिश्चित करें। ऐसा करना इसलिए भी सही है, क्योंकि विभाग प्रमुख अपने जूनियर स्टाफ के साथ दैनिक दिनचर्या में काम करते हैं और उनकी माँग जायज़ है या नही, किसी और की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसीलिए वह अस्थाई स्वीकृति देने के पात्र भी हैं।

7- एक बार जब विभाग प्रमुख ने अस्थाई स्वीकृति दे दी, तो एच-आर प्रमुख निम्नलिखित दिशानिर्देशों के तहत ही लोन को मंजूरी देंगे।

★ HR and Management ★ Approved

A) एच-आर प्रमुख लोन की आवेदन तिथि पर आवेदक के फुल और फाइनल की गणना करेंगे और कुल राशि का 50 प्रतिशत तक का ही लोन मंजूर कर सकते हैं। हालाँकि कुल लोन 1 लाख से कम राशि का ही होना चाहिए।

B) 1 लाख से अधिक के सभी लोन मैनेजमेंट द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे।

C) कोई भी लोन जो 1 लाख से कम का है लेकिन उस कर्मचारी के वर्तमान फुल और फाइनल के 50 प्रतिशत से अधिक है तो उसे केवल एच-आर प्रमुख द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

8- विभाग प्रमुखों द्वारा लोन मांगने के मामले में, उन्हें भी इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, हालाँकि उन्हें किसी से अस्थाई स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।

9- एच-आर प्रमुख के लोन मांगने की स्थिति में, वह भी इन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और उनका लोन केवल मैनेजमेंट द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

10- 50,000/- रुपये तक के लोन की वापसी की अवधि अधिकतम 6 माह की होगी ।

11- 50,000/-रुपये से अधिक के लोन की वापसी की अवधि 6 माह से अधिक हो सकती है लेकिन 12 महीने से अधिक नहीं होगी।

12-अगर आप लोन ले रहे हैं, तो उसे वापिस करने की अवधि को हमेशा जितना हो सके कम रखें और मासिक किश्त जितना हो सके उतनी ज़्यादा रखें, ताकि आप जल्द से जल्द अपने लोन को चुकता कर दें, इससे आप अपने साथी कर्मचारियों की भी मदद करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति लोन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन बहुत अधिक लोन चालू स्थिति में होने के कारण उसे मना कर दिया जा रहा हो।

13- उपरोक्त में से कोई भी बदलाव केवल मैनेजमेंट द्वारा ही किया जा सकता है।

14-लोन फॉर्म को केवल छपे हुए रूप में ही भर के देना होगा।

15-जानकारी के लिए लोन फॉर्म इस पॉलिसी के साथ संलग्न है।

16- अगर आपके पास लोन फॉर्म नहीं है तो आप एच-आर विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

ok Approved

HR and Management * Approved *

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत